2011/00036
A/211/2024
U/S - 212

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जोधपुर

तारीख हुक्म	तिरेन्द्र कुमार / पान कंवर व अन्य हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
11/05/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली मय आदेशिका का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रकरण विगत 06 वर्ष से लंबित है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र तत्काल राहत के लिए प्रस्तुत किया जाता है। आदेशिका के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रकरण में किसी प्रकार की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्रदान नहीं की गई है। जिससे यह प्रतीत होता है कि हस्तगत प्रकरण तत्काल राहत के संबंध में वर्तमान समय में प्रार्थी के लिए उपयोगिता नहीं रही है। अतः हस्तगत प्रकरण में बहाली (Restoration) अथवा नवीन परिस्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने कि प्रार्थी को छूट प्रदान करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 R.T.A. 1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) सत्यमेव जयते जोधपुर